

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2013

विषय-- निजी संस्थान मनोरमा इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, प्लाट/खसरा नं० 8 सी, मकराना जठौली, एटा को वी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान मनोरमा इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, प्लाट/खसरा नं० 8 सी, मकराना, जठौली, एटा को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय वी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल विरलिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रदेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निरत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडेटा एवं अन्य सम्बंध प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर वी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या-3001 (1)/15-11-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ, मानसरोवर (नियर मानसरोवर स्टेशन), जयपुर, राजस्थान।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, मनोरमा इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, प्लाट/खसरा नं० 8 सी, मकराना, जठौली, एटा।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/शि०स०/सम्बद्धता/ 534

/2013-14 दिनांक 17.12.2013

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के पत्रांक शि०स०/नि०शि०स०/ 30529/2013-14 दिनांक 12.12.2013 के साथ संलग्न शासनादेश सं० 3081/15-14-2013 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 10.12.2013 द्वारा निजी संस्थान मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लाट/खसरा नं० 8सी, मकराना, जटौली, एटा को शासन द्वारा सन्यक्त विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्थान द्वारा लगातार प्रामाण्य एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में दन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल विलिडिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण के नियम, परीक्षाशुल्क अन्य कोई भी चार्ज परीक्षा की समय सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थाई अभिलेख होंगे जिन्हें सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थाई रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की वेबसाइट के साथ लाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख /अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रस्तुत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर 2013 के कार्यवृत्त में की गयी सरसुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

/2013-14 तददिनांक

पू०सं० /शि०स०/सम्बद्धता / 10050-50

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, शैक्षिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग - 11, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, शैक्षिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेशन के पास मानसरोवर जयपुर।
6. सहायक शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हरचन्द्रपुर, एटा।
8. प्रभुचक/सचिव मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लाट/खसरा नं० 8सी, मकराना, जटौली, एटा।
9. साइ फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/सम्बद्धता/

/2016-17 दिनांक: 10 नवम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० 2137/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 22.09.2016 द्वारा निजी संस्थान मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं० 8 रा ग्राम मुखरना, पो० जितौली, जनपद-एटा को शासन द्वारा सम्यक् विद्यार्थेपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विभागक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार गभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी वार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् व्ययनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रस्तावित संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गया संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं० / सम्बद्धता/ 21171-78

/2016-17 तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, परीक्षा नियामक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, परीक्षा नियामक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग - 11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, परीक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
5. राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, वतुर्थ तल, जीवन विधि-II, एल०आइ०सी० बिल्डिंग, मलानी रिह्त मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्रचारार्थ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, एटा।
7. परीक्षा/सचिव मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं० 8 रा ग्राम मुखरना, पो० जितौली, जनपद-एटा।
8. माली, लखनऊ।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

हरचन्दपुर कलां एटा।

सेवा में,

सचिव/प्रबंधक, निजी संस्थान

मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लॉट/खसरा नं० 08सी०

मकराना जितौली एटा।

पत्रांक/डायट/ 151-52 /2013-14 दिनांक-03/11/2013

विषय:-निजी संस्थान मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लॉट/खसरा नं० 08 सी०, मकराना जितौली एटा को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर 2013 के पत्र द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों के प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

कृपया शासन से निर्गत आदेश को डायट के कार्य दिवस में प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय


प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

हरचन्दपुर कलां एटा

पृ०सं०/डायट/

/2013-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

हरचन्दपुर कलां एटा

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ दिनांक 22-नवम्बर 2016

विषय- निजी संस्थान मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं० 8स ग्राम मुखरना, पो० जितौली, जिला-एटा को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लॉट नं० 8स ग्राम मुखरना, पो० जितौली, जिला-एटा को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों के प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानक के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीया,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/15-11-2016, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, एटा।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं० 8स ग्राम मुखरना, पो० जितौली, जिला-एटा।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।